Spl. Sec.

O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०. एल०ए०/एस०एस० –1/श०स्था०नि०/14449/1971 दिनांकः– 18.11.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, ठाकुरगंज के वर्ष 2008–09 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 604/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

18/11/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र — 08 DEC 2014

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र पंजी — 09 DEC 2014 — संख्या 9283

(87)

नगर पंचायत, ठाकुरगंज
प्रारूप अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 604/13–14
वित्तीय वर्ष– 2008–09 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, ठाकुरगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक लेखाओ की लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0प0), बिहार पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 03.06.13 से 08.06.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	पदनाम	नाम	कार्यालय
01.	अध्यक्ष	1 श्री नवीन यादव	09.06.07 से 08.06.12
	मुख्य पार्षद	2 श्रीमती बेवी देवी	09.06.12 से वर्तमान तक
02	उपमुख्य पार्षद	1 श्री कृष्ण कुमार सिंहा	09.06.07 से 15.06.12
		2 श्रीमती नशीमुन निशा	31.07.10 से 08.06.12 तक
		3 श्री कृष्ण कुमार सिंहा	09.06.12 से वर्तमान तक
03.	कार्यालय पदाधिकारी	1 श्री सुनील कुमार	10.03.06 से 01.03.09
		2 श्री राम कुमार पोद्दार	02.03.09 से 12.08.09
		3 श्री मनोजीत कु0 दास	13.08.09 से 05.11.09
		4 श्री राम कुमार पोद्दार	06.11.09 से 08.12.09
		5 श्री डॉ0 महेन्द्र पाल	09.12.09 से 14.08.11
		6 श्री पीटरमिंज	15.08.11 से वर्तमान तक

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जॉच की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –1 पर तथा लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत /अंसधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –2 पर दी गई है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तुत नहीं

5. महत्वूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

क्र0सं0	कंडिकाएँ	विवरण
01	12(1)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की कटौतिया नहीं
02.	27	ढुलाई पर अनियमित भुगतान
03.	30	आयकर की कटौती नहीं
04.	31(1) एवं (2)	श्रम सेस की कटौती नही
05.	32	वैट की कम कटौती

6. आंतरिक लेखापरीक्षा– अनुपलब्ध

7. बजट

नगर निकायों के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82, 83, 84, 85 एवं धारा 105 की उपधारा(2) में बजट प्राक्कलन तैयार करने तथा उसे पारित करने की प्रक्रिया दी गई है। साथ ही बजट तैयार करने हेतु सरकार द्वारा समय– समय पर दिशानिर्देश भी जारी किये जाते रहे है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 862 दिनांक 21.02.08 द्वारा जारी निर्देश विस्तृत एवं उपयोगी है जिसका अनुपालन सभी नगर निकाय द्वारा किया जाता है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, व 2012–13 का बजट तैयार करने में उपर्युक्त निगम एवं सरकार के दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया था। तथा अनुमानित एवं वास्तविक आय– व्यय में काफी भिन्नता पाई गई ।

बजट पारित एवं अनुमोदन होने की तिथिः

1. वर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
2. वार्ड में प्रस्तुत करने की तिथि	अंकित नहीं	अंकित नहीं	अंकित नहीं	अंकित नहीं	अंकित नहीं
3. वार्ड द्वारा पारित होने की तिथि	अंकित नहीं	अंकित नहीं	अंकित नहीं	अंकित नहीं	अंकित नहीं
4. सरकार को भेजने की तिथि	प्रेषण नहीं	प्रेषण नहीं	प्रेषण नहीं	प्रेषण नहीं	प्रेषण नहीं
5 बजट अनुमोदन की तिथि	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

सरकार को बजट प्रेषित नहीं करने का कारण नहीं बताया गया।

बजट का अनुमानित आय– व्यय व वास्तविक आय– व्यय का विवरण निम्न है–

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
प्राक्कलित आय	159.58	273.20	309.62	340.59	347.55
प्राक्कलित व्यय	159.83	272.93	309.50	340.61	347.41
वास्तविक आय	44.39	53.91	71.04	75.29	116.48
वास्तविक व्यय	26.91	18.93	55.27	74'.77	85.71

अंतर राशि **(लाख में)**

1. आय	115.19	219.19	238.58	265.30	231.07
2 व्यय	132.92	254.00	254.23	265.84	261.70

अंतर का प्रतिशत **(लाख में)**

1आय	72.18	80.26	77.05	77.89	66.48
2 व्यय	83.16	93.06	82.14	78.04	75.32

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वास्तविक आय व व्यय में अनुमानित आय व व्यय की अपेक्षा वर्ष 2008–09 में 2012–13 की अवधि में आय में 66.48 प्रतिशत से 80.26 प्रतिशत तक तथा व्यय में 75.32 प्रतिशत से 93.06 प्रतिशत तक भिन्नता थी।

जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक आय– व्यय में प्राक्कलित आय–व्यय की अपेक्षा अधिकतम 15 से 20 प्रतिशत तक अंतर होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि बजट को वास्तविक आय–व्यय को ध्यान में रखकर नही बनाया गया था। जवाब दिया गया कि अंकेक्षक द्वारा सुझाये गये निदेश के अनुसार आगे से बजट तैयार किया जायेगा।

8. आय– व्यय

विभिन्न रोकड़ बहियों का आय–व्यय निम्न था–

1. लेखापाल रोकड़ बही

लेखापाल रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियो के अनुसार आय व्यय निम्न था–

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रा0 शेष	197017.76	829973.76	1279740.76	3564031.76	4324503.76
2. वर्ष की प्राप्ति	2386005.00	1428139.00	5750980.00	4991035.00	7562338.00
3. कुल प्राप्ति	2583022.76	2258112.76	7030720.76	8555066.76	11886841.76
4. वर्ष का कुल व्यय	1753049.00	978372.00	3466689.00	4230563.00	5878368.00
5. अवशेष	829973.76	1279740.76	3564031.76	4324503.76	6008473.76

रोकड़ बही में मासिक व वार्षिक सार नहीं बनाया गया था। व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नही था। दिनांक 31.03.13 को लेखापाल रोकड़ बही व बैंक खाता एसबीआई एकाउंट न0 11715399580 के अंतशेषों का अंतर ₹3075.00 (6011548.76– 6008473.76) था। जवाब दिया गया कि समायोजन यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

2. पिछड़ा अनुदान निधि (सामान्य)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1 प्रारंभिक शेष	शून्य	1529517	3106507	2256472	1395010
2. प्राप्तियों					
(i) अनुदान	1511878	2421757	1089435	987916	2154557
(ii) ब्याज	17639	60853	111205	93082	49065
	1529517	2482610	1200640	1080998	2203622
3. कुल प्राप्ति	1529517	4012127	4307147	3337470	3598632
4. व्यय					
(i) योजना मद	–	905470	2050470	1942460	1237315
(ii) बैंक कटौती	–	150	205	–	–
	शून्य	905620	2050675	1942460	1237315
5. अंतशेष	1529517	3106507	2256472	1395010	2361317

व्यवहृत बैंक खाता–

एसबीआई ठाकुर गंज एकाउंट न0 – 30451393210

दिनांक 23.03.13 को अंतशेष – ₹2361317.00

3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बैंक खाता के अनुसार)

	(एससी)2012–13	(एसटी)2012–13
1. प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2. प्राप्ति		
1. अनुदान	269928	43051
2. ब्याज	528	83
3. कुल प्राप्ति	270456	43134
4. व्यय	–	–
5. अंतशेष	270456	43134

बैंक खाता का नाम

1. अनुसूचित जाति (एससी) हेतु

एसबीआई एकाउंट न0 32627305142

दिनांक 22.01.13 को अवशेष – ₹270456.00

2. अनुसुचित जनजाति (एसटी) हेतु

एसबीआई एकाउंट न0 32627309408

दिनांक 22.01.13 को अवशेष – ₹43134.00

4. द्वादश वित्त अयोग अनुदान

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.प्रारंभिक शेष	615443	202120	208191	206248	158171
2. प्राप्ति					
1 अनुदान	523567	–	–	–	–
2. ब्याज	–	9071	7357	7541	6322
3 योजना राशि	–	–	–	7500	–
कुल	523567	9071	7357	15041	6322
3 कुल प्राप्ति	1139010	211191	215548	221289	164493
4 व्यय					
1. योजना मद	936890	–	9300	17374	–
2. चार्टर एकाउंटेट का भुगतान	–	3000	–	–	–
3. कंप्यूटर सामग्री	–	–	–	45744	–
कुल	936890	3000	9300	63118	0
5. अंतशेष	202120	208191	206248	158171	164493

व्यवहृत बैंक खाता – कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठाकुरगंज

एकाउंट न0 – 1008291010002980

दिनांक 31.12.12 को अंतशेष – ₹164493.00

पासबुक अद्यतन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

182

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 21.07.09 को चेक सं0 044998 द्वारा सतीश शंकर एंड कंपनी, किशनगंज चार्टर एकाउन्टेट को वर्ष 2007–08 व 2008–09 के अंकेक्षण हेतु ₹3000 का भुगतान किया गया जो द्वादश वित्त आयोग अनुदान के दिशानिर्देश के विपरीत व्यय किया गया था।

2. बारहवीं वित्त आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार इस अनुदान राशि के लिए निकाय को इस राशि का संधारण अलग से करने का निर्देश था। जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा एक रोकड़ बही खोला गया, परंतु निम्न अनुदानों की प्रविष्टि इस रोकड़ बही में न कर लेखापाल रोकड़ बही में किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	अनुदान राशि	ज्ञापांक / दिनांक	लेखापाल रोकड़ बही में प्रविष्टि की तिथि
01	1047131	NVV5674/19-12-07	29.12.08
02.	289124	NVV/28/25-03-10	28.05.10
	289124	NVV41/25-03-10	28.05.10

नगर निकाय द्वारा जवाब दिया गया कि– (i) चार्टर एकाउन्टेंट का भुगतान सरकार द्वारा निर्देशित आदेश के अनुसार किया है, (ii) कम्प्यूटर क्रय का इन्द्राज भंडार पंजी के पृष्ठ सं0 67 पर दर्ज है तथा (iii) चूँकि राशि पी0एल0 खाता से था। इस कारण लेखा का संधारण नहीं किया गया।

5. राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना (NSDP)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
प्रारंभिक शेष	1239979	1239979	1248515	1315329	734071
प्राप्ति(ब्याज)	–	14466	66814	50617	28653
कुल प्राप्ति	–	1254445	1315329	1365946	762724
व्यय (i) योजना मद	–	5930	–	631875	67080
(ii) अन्य	–	–	–	–	–
	शून्य	5930	शून्य	631875	67080
अंतशेष	1239979	1248515	1315329	734071	695644

व्यवहृत बैंक खाता – कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

एकाउंट न0 –1008291010002999

दिनांक 04.01.13 को अंतशेष– ₹695644

जवाब दिया गया कि इस राशि का व्यय कर दिया जायेगा। राशि व्यय करने के पश्चात पासबुक अद्यतन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. दिनांक 18.06.09 को अभिश्रव सं0 01 के द्वारा ट्रैक्टर ऋण अदायगी में ₹5930 के ब्याज भुगतान किया गया। इसमें स्पष्ट है कि यह भुगतान एनएसडीपी योजना की राशि का विचलन कर के किया गया था।

6. एसजेएसआरवाई

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रारंभिक शेष	530670.84	529913.84	1987218.84	2065140.84	1532276.86
2. प्राप्तियाँ					
1. अनुदान	–	1450262.00	–	–	–
2. ब्याज	–	7073.00	77922.00	75731.00	49242.00
कुल	0	1457335.00	77922.00	75731.00	49242.00
3. कुल प्राप्ति	530670.84	1987248.84	2065140.84	2140871.84	1581518.84
4. व्यय					
1. योजना मद	–	–	–	158595.00	–
2. प्रशिक्षण	–	–	–	450000.00	550000.00
3. वैट कटौती	757.00	30.00	–	–	–
	757.00	30.00	शून्य	608595.00	550000.00
5. अंतशेष	529913.84	1987218.84	2065140.84	1532276.84	1581518.84

व्यवहृत बैंक खाताः–

खाता का नाम	एकाउंट न0	तिथि	राशि
1. कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , पूर्णिया	3938	31.12.12	910806
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , ठाकुर गंज	3715	जनवरी 12	114631
3. दि पूर्णिया डिस्टीक्ट सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि0 पूर्णिया	7346	01.04.04	6081
			कुल 1031518

दिनांक 19.11.12 को RTGS PUNBH 12319073353 द्वारा खाता में एकाउंट न0 11715399580 दिनांक 14.11.12 को ₹30 लाख के अनुदान RTGS के माध्यम के लेखापरीक्षा रोकड़ बही के लिए व्यवहृत बैंक खाता में प्राप्त हुआ था। जबकि एसजेएसआरवाई के दिशानिर्देश के अनुसार राशि को अलग बैंक खाता में रखना था। जवाब दिया गया कि राशि पी0एल0 खाता में जमा की गई। इस कारण अलग खाता का संधारण नहीं किया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार के दिशानिर्देश के विपरीत है। अतः प्राप्त सूद की गणना कर राशि को अलग बैंक खाता में स्थानांतरित किया जाए।

180

7. तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान

	2011–12	2012–13
1. प्रारंभिक शेष	शून्य	1625112
2. प्राप्तियाँ		
1. अनुदान	1917677	1481000
2. अन्य	–	–
	1917677	1481000
3. कुल प्राप्ति	1917677	3106112
4. व्यय		
1. योजना मद	292565	838679
2. अन्य	–	–
	292565	838679
5. अंतशेष	1625112	2267433

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान के दिशानिर्देश के अनुसार निकाय द्वारा अनुदान राशि का संधारण अलग से किया जाएगा।

परंतु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा प्राप्त आवंटन को कोषागार एवं लेखापाल रोकड़ बही हेतु संधारित बैक, खाता एकाउंट नं0 11715399580 में जमा निकासी की गई।

2. वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन ₹600000 एवं ₹1677 की प्रविष्टि लेखापाल रोकड़ बही में भी किया गया था। पुनः व्यय 2011–12 की राशियों ₹175700 एवं ₹116865 जिनका चेक सं0 क्रमशः 211501 एवं 211503 था की प्रविष्टि लेखापाल रोकड़ बही मे भी किया गया था।

3. प्राप्त अनुदान व्यय व अंतशेष की वास्तविक स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

9. अनुदान :

1. नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी आवंटन पंजी व अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलतः प्राप्त अनुदान व्यय व अंतशेष की स्थिति लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सकता।

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न रोकड़ बहियों यथा, लेखापाल रोकड़ बही BRGF, 13TH FC , 12TH FC SJSRY, NSDP आदि की रोकड़ बहियों संधारित की गई थी।

लेखापाल रोकड़बही के अनुसार नगर पंचायत को निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था।

वर्ष	अनुदान राशि
2008–09	1806873.00
2009–10	986160.00
2010–11	3873290.00
2011–12	1486756.00
2012–13	5383960.00
कुल	13537039.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 3 पर)

2. प्रशासनिक भवन के लिए 45 लाख रू की राशि न0वि0 एवं आ0वि0, पटना से दिनांक 21.03.13 को प्राप्त हुआ था। लेकिन नगर पंचायत के पास अपनी जमीन नहीं है तो यह राशि कैसे व्यय किया जायेगा स्पष्ट नहीं किया गया ।

3. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कुल ₹5508159 के अनुदान की प्राप्ति हुई थी। जिसकी विवरणी परिशिष्ट में संलग्न है लेकिन इस राशि से कोई व्यय नही किया गया था जबकि सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार जुन –13 तक राशि व्यय नही करने पर दूसरीं किस्त प्राप्त नहीं हो सकती है लेकिन नगर पंचायत, ठाकुरगंज द्वारा अभी तक चतुर्थ वित आयोग की राशि का व्यय नही की गई और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया था। अगली किस्त प्राप्त करने के लिए चतुर्थ राज्य वित आयोग की राशि यथाशीघ्र व्यय किया जाए।

10. कम/नहीं जमा

विविध रसीद व दुकान किराया वसूली पंजी के जॉच क्रम में पाया गया कि ₹572105 कम/नहीं जमा था। आपत्ति के आलोक में ₹254003 का जमा दिखाया गया एवं संग्राहकों द्वारा क्रमशः ₹90403 एवं ₹227699 जमा लेखापरीक्षा के दौरान कर दिया गया। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	रसीद सं0 /वसूलकर्त्ता	दिनांक	वसूली गयी राशि	जमा की गई राशि	आपत्ति के आलोक में जमा दिखाई गई राशि	कम जमा	अंकेक्षण के दौरान जमा
1	1 से 127 समीरपाल	29.03.11 से 31.03.13	978604	634198	254003	90403	90403 (49271+41132)
2	201 से 310 विश्व ज्योति दास गुप्ता	29.03.11 से 31.03.13 तक	538356	310657	–	227699	227699 (113000+94500 +20199)
						318102	318102

कुल राशि ₹318102 अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया।

11. दुकान बकाया किराया

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणी के अनुसार दुकान की मांग एवं वसूली निम्न प्रकार थी–

	2010—11	2011—12	2012—13
कुल मांग	1943202	2835512	2052907
वसूली	294434	1075029	106705
अवशेष	1648768	1760483	1946202
प्रतिशत	15 प्रतिशत	38 प्रतिशत	5 प्रतिशत

सरकार द्वारा वसूली के लिए 85 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित था लेकिन वसूली न्यूनतम 4 प्रतिशत अधिकतम 30 प्रतिशत किया गया था। जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम था।

पुनः दुकान किराया मद में दिनांक 21.03.13 को ₹1946202.00 अवशेष थी जिसकी वसूली यथाशीघ्र किया जाए। जवाब दिया गया कि राशि वसूलने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

12(1) राजस्व की हानि रू 19.65 लाख

नगर पंचायत, ठाकुरगंज के वित्तीय वर्ष 2008—09 से 2012—13 में मांग पंजी एवं वसूली पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन कर दरोगा से प्राप्त विवरणी के अनुसार वर्षवार सिर्फ सरकार का शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस (राजस्व उपस्कर) एवं लैट्रिन कर एवं जलकर का कोई प्रावधान नहीं था। विवरण निम्न है:—

क्रमांक	वर्ष	गृहकर का वर्षवार माँग	मांग के अनुसार शिक्षा सेस एवं स्वा0 सेस गृहकर का क्रमशः 50 प्रतिशत राशि	गृहकर वसूली की राशि	राज्य सरकार के क्रमश : शिक्षा सेस एवं स्वा0 सेस में राजस्व की हानि
01	2008—09	483433.00	483433.00	304557.50	304557.50
02.	2009—10	483433.00	483433.00	257557.50	257557.50
03.	2010—11	586053.00	586053.00	409377.50	409377.50
04.	2011—12	587053.00	587053.00	610385.00	610385.00
05.	2012—13	587053.00	587053.00	383354.00	383354.00
					1965232.00

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम संशोधित 1959 स्वास्थ्य अधिनियम 1972 के अनुसार वसूली करनी थी। जो 01.04.1982 से गृहकर शिक्षा सेस 50 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य सेस 50 प्रतिशत अर्थात कुल गृहकर की राशि के समतुल्य वसूली करनी थी लेकिन नगर पंचायत, ठाकुरगंज द्वारा इस दिशानिर्देश के उल्लंघन करने के कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की वसूली राशि ₹1965232 रू नहीं किया गया।

इस राशि में से सरकार द्वारा निर्देशित दिशानिर्देश के अनुसार वसूली राशि की 10% कटौती कर राशि ₹196523 सरकार को प्रेषित करना था।

इस प्रकार नगर पंचायत एवं राज्य सरकार को क्रमशः ₹196523 एवं ₹1768709 के राजस्व की हानि हुई। जवाब दिया गया कि नगर पंचायत के स्थापना के वर्ष से ही शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की वसूली नहीं की जा रही थ। लेकिन अंकेक्षण दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति के आलोक में बोर्ड में प्रस्ताव रखा जायेगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी जिसकी सूचना अंकेक्षण दल को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12(2) राजस्व की हानि

क. नगर पंचायत, ठाकुरगंज के वर्ष 2008–09 से 2012–13 में प्रस्तुत खतरनाक एवं भयावह ट्रेडर्स के वसूली पंजी के जॉच क्रम में वर्ष 2008–09 से 2012–13 में पाया कि 56 मील (आटा चक्की, चावल चक्की, तेल चक्की) एवं निम्नलिखित सामग्रियों के ट्रेड पर लाइसेंस पर कम वसूली हुई थी जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 1991–92 से दर का पूनरीक्षण कर दिया गया था। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	ट्रेड का नाम	वसूली गई ट्रेड लाइसेंस की राशि प्राप्त	सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्रतिवर्ष	अंतर राशि	ट्रेड का सं0	कुल राजस्व हानि
01	मील	100.00	1000.00	900.00	56	50400.00
02.	चमड़ा	50.00	250.00	200.00	04	800.00
03.	को॰ डिपू	20.00	250.00	230.00	04	920.00
04.	बांस व्यवसाय	100.00	250.00	150.00	09	1350.00
				कुल	73	53470.00

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि सरकार के दिशानिर्देश का पालन नहीं करने के कारण नगर पंचायत को ₹53470 की हानि हुई थी। जो वसूली योग्य है। जवाब दिया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित दर की प्रति नगर पंचायत को उपलब्ध नहीं है। इस कारण राशि की वसूली पुनः निर्धारित दर पर की जा रही है। जवाब मान्य नहीं है।

(ख) पुनः वसुली पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पेट्रोल पम्प, सिलाई दुकान, ड्राईक्लीनर मीट दुकान, इत्यादि से खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय शुल्क की वसूली नही की गई थी। खतरनांक एवं भयावह ट्रेड का वसूली का वसूली पंजी संधारण नहीं किया गया था। कर दरोगा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार मॉग एवं वसूली की विवरणी निम्न है–

क्र0सं0	वर्ष	कुल मांग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
01	2008/09	3570.00	2650.00	920.00	74 प्रतिशत
02.	2009/10	3190.00	1340.00	1850.00	32 प्रतिशत
03.	2010–11	4120.00	1620.00	2500.0	39 प्रतिशत
04.	2011–12	4670.00	3370.00	1300.00	72 प्रतिशत
05.	2012–13	3220.00	970.00	2250.00	30 प्रतिशत

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा निर्धारित 85 प्रतिशत कर वसूली से कम नगर पंचायत द्वारा 30 प्रतिशत से 74 प्रतिशत किया गया था। इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तथा अवशेष राशि ₹2250/– की वसूली यथाशीघ्र किया जाय। जवाब दिया गया कि राशि वसूली करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

12(3) राजस्व की हानि

क खतरनाक व्यवसाय

पेशाकर कर के मॉग पंजी एवं खतरनाक एवं भयावह ट्रेडर्स के वसूली पंजी के मिलान क्रम में पाया कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक में पाया गया कि कुल 73 दुकान की खतरनाक एवं भयावह ट्रेडस के शुल्क की वसूली की गई थी। लेकिन उससे पेशा कर की वसूली नहीं की गई थी। विवरणी निम्न है–

क्र0सं0	ट्रेड का नाम	संख्या	पेशाकर की राशि	राजस्व की हानि
01	मील	56	250	14000.00
02.	चमड़ा	04	250	1000.00
03.	कोल डिपू	04	250	1000.00
04.	बांस व्यवसाय	09	250	2250.00
	कुल	73	1000.00	18250.00

पेशाकर की वसूली नहीं करने के कारण नगर पंचायत को राजस्व की हानि ₹18250 रू की हुई थी। जिसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से किया जाय।

ख. पेशाकर – पुनः राज सरकार द्वारा 01.04.11 से पेशाकर की वसूली नगर निकाय से नहीं करने का आदेश दिया गया था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा 31.03.11 को ₹218165.00 अवशेष की भी, वसूली अभी तक नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0सं0	वर्ष	कुल मांग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
01	2008–09	142655.00	45690.00	96965.00	32 प्रतिशत
02.	2009–10	183345.00	50810.00	132535.00	28 प्रतिशत
03.	2010–11	222765.00	55335.00	167430.00	25 प्रतिशत
04.	2011–12	258815.00	40650.00	218165.00	16 प्रतिशत

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा निर्धारित 85 प्रतिशत कर वसूली से कम नगर पंचायत द्वारा 16 प्रतिशत से 32 प्रतिशत किया गया था। इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5751 दिनांक 24.10.11 के अनुसार पेशाकर वसूली से नगर निगम को निषिद कर दिया गया था लेकिन पूर्व के वर्षो के बकाया राशि के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया था। वर्ष 11–12 के दिए गए मॉग एवं वसूली के अनुसार कुल ₹218165/– अवशेष

थी इस राशि की वसूली के लिए नगर पंचायत द्वारा नगरपालिका अधिनियम के अनुसार न तो नोटिस निर्गत किया गया था न ही डिस्ट्रेस वारंट निर्गत किया था। एवं न ही वसूली के लिए प्रयास किया गया था। इस कारण ₹218165/– की राजस्व हानि नगर पंचायंत को हुई थी। जिसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से किया जाए। जवाब दिया गया कि पेशाकर बंद हो चुका है तथा वसूली में एक ही व्यक्ति रहने के कारण भूल हुई है। अवशेष राशि यथाशीघ्र वसूल ली जायेगी।

13. तेरहवीं वित्त आयोग

नगर पंचायत, ठाकुरगंज को तेरहवी वित्त आयोग से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था।

क्र0सं0	न0वि0 एवं आ0वि0, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक तथा तिथि	राशि
01	95 दि0 17.08.10	600000.00
02.	1837 दिनांक 30.03.11	600000.00
03.	1858 दिनांक 30.03.11	1677.00 सूद की राशि
04.	21 दिनांक 04.08.11	700000.00
05.	24 दिनांक 23.08.11	16000.00
06.	01 दिनांक 04.04.12	470000.00
07.	29 दिनांक 19.07.12	767000.00
08.	36 दिनांक 31.03.12	244000.00
		कुल रू 3398677.00

सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर तथा शेष 50 प्रतिशत राशि पाईप जलापूर्ति सड़को पर प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपयोग किए बिजली के बिल एवं रैन वसेरा/ओल्ड एज होम का निमार्ण तथा रख रखाव पर व्यय करना था।

उपरलिखित के कुल अनुदान का मदवार राशि निम्न है–

50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	रू 1699339.00
50 प्रतिशत अन्य मद	रू 1699338.00

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में 4 योजना संड़क निर्माण का लिया गया था। तथा व्यय ₹858030.00 किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	योजना सं0	प्रा0 राशि	व्यय की गई राशि
01	15/10–11	186500.00	186500.00
02.	16/10–11	125000.00	123700.00
03.	40/11–12	398000.00	336945.00
04	31/11–12	248100.00	210885.00
		कुल	858030.00

अंकेक्षण आपत्ति

सरकार द्वारा तेरहवीं वित आयोग के दिशानिर्देश अनुसार सड़क निर्माण करना निषिद था। नगर पंचायत द्वारा कुल ₹858030.00 का व्यय सड़क निर्माण पर किया गया था। जो दिशानिर्देश के विपरीत था। तथा व्यय की गई राशि ₹858030.00 अनियमित था। जवाब दिया गया कि बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण की योजना अनुमोदित की गयी थी इसलिए सड़क निर्माण कार्य लिया गया था। जवाब मान्य नहीं है यह 13वीं वित्त आयोग के दिशानिर्देश के विपरीत है।

सरकार के दिशानिर्देश के उल्लंघन का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करने तक व्यय की गई राशि ₹858030.00 अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

2. अवशेष राशि यथाशीघ्र व्यय किया जाए।

3. बिजली बोर्ड विभाग के खाता सं0 11715398054 में दिनांक चेक सं0 791208(पी/एल खाता) से ₹231929.00 का भुगतान किया गया था। सरकार के दिशा निर्देश के अुनसार पेयजल पर उपयोग किये बिजली बिल का भुगतान करना था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा संपूर्ण बिजली बिल का भुगतान किया गया था। नगर पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है तथा जलकर की वसूली नहीं होती है। अतः सरकार के दिशानिर्देश के विपरीत ₹231929.00 का बिजली विपत्र का भुगतान किया गया था, जो अनियमित था। जवाब दिया गया कि सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार ही बिजली बिल का भुगतान किया गया है। जो मान्य नहीं है।

सरकार के दिशानिर्देश के उल्लंघन का कारण स्पष्ट करने तक भुगतान की गई राशि ₹231929.00 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

14. द्वादश वित आयोग

द्वादश वित आयोग अनुदान की निम्नलिखित राशि नगर पंचायत, ठाकुरगंज का वर्ष 2008–09 से 2009–10 में प्राप्त हुई थी।

क्र0सं0	न0वि0 एवं आ0वि0, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक एवं दिनाक	राशि
01	1617/27.03.08	523567.00
02.	28/17.03.10	289124.00
03	41/25.03.10	289124.00
	कुल	1101815.00

द्वादश वित आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 1 प्रतिशत जनप्रतिनिधि तथा सिटी मैनेजर की क्षमता वृद्धि 3 प्रतिशत ई गवनेन्स तथा 46 प्रतिशत नागरिक सुविधा पर व्यय करना था। इस अनुसार नगर पंचायत के पूर्व का अवशेष ₹1452812.00 था तथा वर्ष 2008–09 तथा 09–10 में कुल प्राप्त अनुदान ₹1101815.00 के इस दिशानिर्देश के अनुसार संबंधित शीर्ष में कर्णांकित राशि निम्न थी–

क्र0सं0	राशि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	क्षमतावृधि	ई–गर्वनेंस	नागरिक सुविधा
01	1452812.00	963614.00	19272.00	57817.00	412109.00
02.	1101815.00	550908.00	11018.00	33054.00	506835.00
		1514522.00	30290.00	90871.00	918944.00
वर्ष 2008–09 से 12–13 तक व्यय		573000.00	शून्य	45744.00	1582335.00
		941522.00	30290	45127.00	(–)663391.00

कुल अवशेष राशि ₹353548.00 उपरलिखित से स्पष्ट है कि नागरिक सुविधा शीर्ष में ₹663391.00 का व्यय अधिक किया गया था। इससे स्पष्ट है कि ₹663391.00 का विचलन दूसरे शीर्ष से किया गया था। इस विचलन को यथाशीघ्र समायोजन करें। जवाब दिया गया कि बोर्ड द्वारा निर्णय के कारण व्यय किया गया। इस कारण विचलन हो गया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राशि क्षमता वृद्धि तथा ई–गर्वनेस से व्यय नही करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

15. राष्ट्रीय गंदी बस्ती

राष्ट्रीय गंदी बस्ती के रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2008–09 का प्रारंभिक अवशेष ₹1239979.00 था तथा वर्ष 2008–09 से 12–13 तक कुल सूद की राशि ₹160550.00 प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 2009–10 से 12–13 तक कुल व्यय ₹704885.00 थी दिनांक 31.03.2013 का अवशेष राशि ₹695644.00 थी। वर्ष 2009–10 में ₹5930 टैक्ट्रर के ऋण राशि तथा सूद पर व्यय किया गया था। तथा अवशेष राशि ₹698955.00 (704885 – 5930) का व्यय योजना में किया गया था। विस्तृत निम्न है–

क्र0सं0	योजना सं0	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि	भुगतान की राशि
01	06/2011–12	श्री रेयाज अरशद	50000.00	50000.00
02.	1/2011–12	श्री दीनानाथ पांडेय	114700.00	112953.00
03.	3/2011–12	श्री रियाज अरशद	113200.00	112790.00
04.	02/2011–12	श्री अमरजीत चौधरी	73000.00	73000.00
05.	07/2011–12	तथैव	145000.00	143730.00
06.	05/2011–12	श्री अजय कुमार चौधरी	110000.00	110000.00
07.	04/2011–12	श्री अमरजीत चौधरी	64000.00	63878.00
08.	37/11–12	श्री कन्हैया लाल महतो	95500.00	72346.00
				738697.00

उपरलिखित से स्पष्ट है कि स्वामित्व कर वैट लेबर सेस की राशि जमा नहीं की गई थी। अतः वास्तविक अवशेष राशि ₹655902 (1394599–738697) थी। जवाब दिया गया कि अवशेष यथाशीघ्र व्यय कर दिया जायेगा।

अंकेक्षण आपत्ति

1. राष्ट्रीय गंदी बस्ती के दिशानिर्देश के अनुसार राष्ट्रीय गंदी बस्ती के अनुदान से सिर्फ गंदी बस्ती क्षेत्र में कार्य करना था। लेकिन इस दिशा निर्देश के विपरीत नगर पंचायत द्वारा 8 योजनाओं का कार्यान्वयन गंदी बस्ती क्षेत्र में नहीं किया गया था तथा **₹7,38,697.00** का व्यय किया गया जो दिशानिर्देश के विपरीत था तथा किया गया व्यय अनियमित था

2. वर्ष 2002–03 से वर्ष 05–06 तक राष्ट्रीय गंदी बस्ती में कुल अनुदान **₹50,87,000.00** प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय गंदी बस्ती के दिशानिर्देश के अनुसार न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि आवास निर्माण पर व्यय करना था अर्थात ₹5,08,700.00 की राशि का आवास निर्माण करना था। आवास निर्माण की प्रा0 राशि ₹36,300.00 वर्ष 2002–03 में थी जिसमें **₹2500.00** मजदूरी लाभूक को भुगतान करना था या खुद कार्य करना था इससे स्पष्ट हैं कि **₹33,800.00** आवास निर्माण पर राशि लाभुक को देना था। इस राशि से अब मकान का निर्माण कार्य संभव नहीं हैं अभी तक आवास निर्माण नहीं करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

3. राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना वर्ष 2006–07 से बंद हो चुकी है। वर्ष 2011 –12 में योजना लेने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें तथा अवशेष राशि ₹6,56,102.00 को यथाशीघ्र व्यय करे अथवा आवश्यकता नहीं हो तो सरकार को वापस कर दें।

4. उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करावें।

5. राष्ट्रीय गंदी बस्ती के योजना पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि योजना सं0 15/2006–07 जो मोमवालीय के निचे सड़क शेष भाग में सोलिगं कार्य का था तथा प्रा0 राशि ₹62400.00 थी तथा **₹52,500,00** का अग्रिम अभिकर्ता श्री रधुनाथ प्र0 सिन्हा कनीय अंभियंता को किया गया था । लेकिन यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। यह अग्रिम 7 वर्ष पुराना हैं तथा उस प्राक्कलन पर अब कार्य संभव नहीं हैं अतः अग्रिम की राशि ₹52700.00 संबंधित व्यक्ति से वसुली योग्य है।

16. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित प्राप्ति एवं व्यय था–